भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2147

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

उत्तरी केरल में जल संकट और पेयजल की कमी

2147. श्री राजमोहन उन्नीथन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कासरगोड जिले सहित उत्तरी केरल के कई क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान बार-बार पेयजल की कमी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अपर्याप्त सतही जल संरक्षण और भूजल पुनर्भरण ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या पेयजल संकट का कोई जिला-विशिष्ट आकलन किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके निष्कर्ष क्या हैं;
(घ) क्या उक्त क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति और जल संरक्षण के लिए केंद्रीय योजनाओं का प्रभावी ढंग से कार्यान्वयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा सुरक्षित पेयजल तक सतत और समान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से, देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु सुरक्षित और पर्याप्त नल जल कनेक्शन का प्रावधान करने के लिए केरल सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल कार्यान्वित कर रही है। जेजेएम की शुरुआत में, केरल के कासरगोड जिले में केवल 0.39 लाख (15%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 0.47 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस

प्रकार, 28.01.2026 तक, जिले के 2.54 लाख ग्रामीण परिवारों में से 0.86 लाख (33.9%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

जल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और अनुरक्षण के साथ-साथ जल संसाधनों के संवर्धन, संरक्षण और कुशल प्रबंधन की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

जल शक्ति मंत्रालय 2019 से जल शक्ति अभियान (जेएसए) कार्यान्वित कर रहा है। जेएसए: सीटीआर, अपने छठे संस्करण के साथ, केरल राज्य सहित देश के सभी जिलों (ग्रामीण और शहरी) में "जल संचय, जनभागीदारी: जन जागृति की ओर" विषय के तहत कार्यान्वित किया गया है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी तथा जल संरक्षण जागरूकता पर जोर दिया गया है। यह अभियान अधिकतम प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए सामंजस्यतापूर्ण वित्तपोषण और सक्रिय सामुदायिक भागीदारी पर जोर देता है। कृत्रिम पुनर्भरण संरचनाओं के निर्माण के लिए मंत्रालयों के बीच प्रभावी अंतर-क्षेत्रीय सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सरकार ने एक बहु-आयामी कार्यनीति कार्यान्वित की है जो सहयोग, संसाधन अनुकूलन और संस्थागत समन्वय का लाभ उठाती है।

(घ) और (ङ): गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/अथवा मौजूदा स्रोतों का संवर्धन करना जल जीवन मिशन का एक अभिन्न अंग है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, जेजेएम के कार्यान्वयन के लिए कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

i.) जेजेएम के तहत शुरू की गई किसी भी जल आपूर्ति योजना को संबंधित राज्य सरकार की स्रोत खोज समिति की इस आशय के साथ सिफारिश कि पहचाने गए जल स्रोत जिसके माध्यम से स्कीम की योजना बनाई गई है, में योजना डिजाइन अवधि के लिए आवश्यक मानदंड के अनुसार जल आपूर्ति को बनाए रखने के लिए पर्याप्त क्षमता है, के बाद ही अनुमोदित किया जाता है;

ii.) पेयजल स्रोतों का विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन; और भरोसेमंद भूजल स्रोतों के बिना पानी की कमी, सूखा-प्रवण और रेगिस्तानी क्षेत्रों में जल के थोक हस्तांतरण, शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए बुनियादी ढांचा; तथा

iii.) *वीबी-जी राम जी,* ग्रामीण स्थानीय निकायों/पीआरआई को वित्त आयोग के अनुदान, सांसद और विधायक की स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज फाउंडेशन (डीएमएफ) निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य योजनाओं के सामंजस्य में पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण।

इसके अलावा, जल शक्ति अभियान - कैच द रेन अभियान, अपने विभिन्न संस्करणों में, जल संरक्षण और वर्षा जल संचयन संरचनाओं, पारंपरिक जल निकायों के नवीनीकरण, पुन: उपयोग तथा पुनर्भरण संरचनाओं, वाटरशेड विकास आदि पर केंद्रित है।

सुरक्षित पेयजल तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए, जेजेएम द्वारा *"कोई भी वंचित न रहे"* के सिद्धांत का अनुपालन किया जाता है और पानी की कमी, सूखा-प्रवण, रेगिस्तान, गुणवत्ता प्रभावित, आदिवासी तथा आकांक्षी जिलों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति बहुल गांवों, जेई-एईएस प्रभावित जिलों और सांसद आदर्श ग्राम योजना गांवों को प्राथमिकता दी जाती है।

*****